"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255] रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 अप्रैल 2022 — चैत्र 16, शक 1944

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–32/2021/38–2. – छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 668/पी.यू./एस.एण्ड.ओ./2016 (पार्ट–2)/16635, दिनांक 24–02–2022 द्वारा कलिंगा विश्वविद्यालय, ग्राम–कोटनी पलौद, तह.–आरंग, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 114 से 134 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत् किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

3. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –114

बैचलर आफ वोकेशनल स्टडीज़– बी.वॉक

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–114 बैचलर आफ वोकेशनल स्टडीज़, संक्षिप्त नाम बी. वॉक के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

बैचलर आफ वोकेशनल स्टडीज़।

3. संकाय :

बैचलर आफ वोकेशनल स्टडीज़ पाठ्यक्रम व्यवसायिक शिक्षा के तहत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि तीन साल (छः सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 06 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल या किसी अन्य मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने हेतु, सेमेस्टर के अंत में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में, विषय के शिक्षक द्वारा सतत् मूल्यांकन के अंको को शामिल करके, प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग के अंको का न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। किसी भी विषय की परीक्षा में 40% से कम अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग में 45% से कम अंक प्राप्त विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह '' बैचलर आफ वोकेशनल स्टडीज़'' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –115

बैचलर आफ एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स– बी.एएन एंड वीएफएक्स

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–115 बैचलर आफ एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स, संक्षिप्त नाम बी.एएन एंड वीएफएक्स के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

बैचलर आफ एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स ।

3. संकाय :

बैचलर आफ एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स सूचना प्रौद्योगिकी संकाय के तहत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि तीन साल (छः सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 06 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल या किसी अन्य मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने हेतु, सेमेस्टर के अंत में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में, विषय के शिक्षक द्वारा सतत् मूल्यांकन के अंको को शामिल करके, प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग के अंको का न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। किसी भी विषय की परीक्षा में 40% से कम अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग में 45% से कम अंक प्राप्त विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह '' बैचलर आफ एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स '' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –116

मॉस्टर आफ एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स– एम.एन एंड वीएफएक्स

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–116 मास्टर आफ एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स, संक्षिप्त नाम एम.एन एंड वीएफएक्स के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

मॉस्टर आफ एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स ।

3. संकाय :

मॉस्टर आफ एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स सूचना प्रौद्योगिकी संकाय के तहत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि दो साल (चार सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 04 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

यू.जी.सी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। जिन उम्मीदवार ने बैचलर ऑफ एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स किया है उनको प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी।

6. सीट :

मूल इकाई 30 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क–51, अध्याय II,बिंदु क.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने हेतु, सेमेस्टर के अंत में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में, विषय के शिक्षक द्वारा सतत् मूल्यांकन के अंको को शामिल करके, प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग के अंको का न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। किसी भी विषय की परीक्षा में 40% से कम अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग में 45% से कम अंक प्राप्त विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह '' मास्टर आफ एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स '' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –117

डिप्लोमा इन योगा (डीवाय)

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–117 डिप्लोमा इन योगा, संक्षिप्त नाम डीवाय के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

डिप्लोमा इन योगा ।

3. संकाय :

डिप्लोमा इन योगा विज्ञान संकाय के तहत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि तीन साल (छः सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 06 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल या किसी अन्य मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने हेतु, सेमेस्टर के अंत में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में, विषय के शिक्षक द्वारा सतत् मूल्यांकन के अंको को शामिल करके, प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग के अंको का न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। किसी भी विषय की परीक्षा में 40% से कम अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग में 45% से कम अंक प्राप्त विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह '' डिप्लोमा इन योगा '' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –118

बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स –बीएफए

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–118 बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, संक्षिप्त नाम बीएफए के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ।

3. संकाय :

बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स फाइन आर्ट/परफार्मिंग आर्ट/विजुअल आर्ट/एप्लाइड आर्ट संकाय के तहत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि तीन साल (छः सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 06 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल या किसी अन्य मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने हेतु, सेमेस्टर के अंत में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में, विषय के शिक्षक द्वारा सतत् मूल्यांकन के अंको को शामिल करके, प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग के अंको का न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। किसी भी विषय की परीक्षा में 40% से कम अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग में 45% से कम अंक प्राप्त विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह '' बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स '' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –119

बी.एससी. ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी – बीओटीटी

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–119 बी.एससी. ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी, संक्षिप्त नाम बीओटीटी के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

बी.एससी. ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी ।

3. संकाय :

बी.एससी. ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी हेल्थ एण्ड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग संकाय के अंतर्गत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि चार साल (छः सेमेस्टर + एक वर्ष इंटर्नशिप) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 08 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी ऐजुकेशन या अन्य किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन तथा गणित/जीव विज्ञान के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

.

.

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने तथा उस विषय के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु न्यूनतम 40% अंक अर्जित करना आवश्यक होगा, जिसमें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा एवं विषय शिक्षक द्वारा किए गए सतत् मूल्यांकन के प्राप्तांक सम्मिलित होंगे, इसके अतिरिक्त सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के समस्त विषयों/प्रश्नपत्रों में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी विषय में 40% से कम तथा सभी विषयों में कुल मिलाकर 45% से कम अंक अर्जित करेगा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर

सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह '' बी.एससी. ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी (बीओटीटी)'' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –120

डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी – डीओटीटी

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–120 डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी, संक्षिप्त नाम डीओटीटी के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी ।

3. संकाय :

डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी हेल्थ एण्ड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग संकाय के अंतर्गत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि दो साल (चार सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 04 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी ऐजुकेशन या अन्य किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन तथा गणित/जीव विज्ञान के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने तथा उस विषय के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु न्यूनतम 40% अंक अर्जित करना आवश्यक होगा, जिसमें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा एवं विषय शिक्षक द्वारा किए गए सतत् मूल्यांकन के प्राप्तांक सम्मिलित होंगे, इसके अतिरिक्त सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के समस्त विषयों/प्रश्नपत्रों में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी विषय में 40% से कम तथा सभी विषयों में कुल मिलाकर 45% से कम अंक अर्जित करेगा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह ''डिप्लोमा इन ऑपरेशन थियेटर टेक्नोलॉजी (डीओटीटी)'' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –121

बैचलर ऑफ साइंस (नर्सिंग) – बी.एससी. (नर्सिंग)

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–121 बैचलर ऑफ साइंस (नर्सिंग) संक्षिप्त नाम बी.एससी. (नर्सिंग) के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

बैचलर ऑफ साइंस (नर्सिंग) ।

3. संकाय :

बैचलर ऑफ साइंस (नर्सिंग) हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग संकाय के अंतर्गत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि चार साल (आठ सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 08 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

10+2 परीक्षा उत्तीर्ण तथा व्यक्तिगत रूप से भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषयों में भी उत्तीर्ण होना चाहिए ; योग्यता परीक्षा में भौतिकी ,रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त होना चाहिए।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।
सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने तथा उस विषय के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु न्यूनतम 40% अंक अर्जित करना आवश्यक होगा, जिसमें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा एवं विषय शिक्षक द्वारा किए गए सतत् मूल्यांकन के प्राप्तांक सम्मिलित होंगे, इसके अतिरिक्त सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के समस्त विषयों/प्रश्नपत्रों में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी विषय में 40% से कम तथा सभी विषयों में कुल मिलाकर 45% से कम अंक अर्जित करेगा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह '' बैचलर ऑफ साइंस (नर्सिंग)'' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –122

मास्टर ऑफ साइंस (नर्सिंग) – एम.एससी. (नर्सिंग)

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–122 मास्टर ऑफ साइंस (नर्सिंग) संक्षिप्त नाम एम.एससी. (नर्सिंग) के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

मास्टर ऑफ साइंस (नर्सिंग) ।

3. संकाय :

मास्टर ऑफ साइंस (नर्सिंग) हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग संकाय के अंतर्गत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि दो साल (चार सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 04 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

बी.एससी.नर्सिंग/बी.एससी. होनर्स. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बीएस.सी नर्सिंग कुल मिलाकर न्यूनतम 55 % अंको के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. सीट :

मूल इकाई 30 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने तथा उस विषय के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु न्यूनतम 40% अंक अर्जित करना आवश्यक होगा, जिसमें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा एवं विषय शिक्षक द्वारा किए गए सतत् मूल्यांकन के प्राप्तांक सम्मिलित होंगे, इसके अतिरिक्त सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के समस्त विषयों/प्रश्नपत्रों में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी विषय में 40% से कम तथा सभी विषयों में कुल मिलाकर 45% से कम अंक अर्जित करेगा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह '' मास्टर ऑफ साइंस (नर्सिंग) '' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –123

बी.एससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी – बीएमआईटी

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–123 बी.एससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी संक्षिप्त नाम बीएमआईटी के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

बी.एससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी ।

3. संकाय :

बी.एससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग संकाय के अंतर्गत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि तीन साल (छः सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 06 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित में न्यूनतम 50% अंको के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने तथा उस विषय के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु न्यूनतम 40% अंक अर्जित करना आवश्यक होगा, जिसमें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा एवं विषय शिक्षक द्वारा किए गए सतत् मूल्यांकन के प्राप्तांक सम्मिलित होंगे, इसके अतिरिक्त सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के समस्त विषयों/प्रश्नपत्रों में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी विषय में 40% से कम तथा सभी विषयों में कुल मिलाकर 45% से कम अंक अर्जित करेगा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह ''बी.एससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी'' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –124

बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी – बीएमएलटी

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–124 बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी संक्षिप्त नाम बीएमएलटी के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी ।

3. संकाय :

बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग संकाय के अंतर्गत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि तीन साल (छः सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 06 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित में न्यूनतम 50% अंको के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने तथा उस विषय के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु न्यूनतम 40% अंक अर्जित करना आवश्यक होगा, जिसमें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा एवं विषय शिक्षक द्वारा किए गए सतत् मूल्यांकन के प्राप्तांक सम्मिलित होंगे, इसके अतिरिक्त सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के समस्त विषयों/प्रश्नपत्रों में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी विषय में 40% से कम तथा सभी विषयों में कुल मिलाकर 45% से कम अंक अर्जित करेगा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह ''बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी'' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –125

मास्टर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी – एमएमएलटी

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–125 मास्टर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी संक्षिप्त नाम एमएमएलटी के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

मास्टर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी ।

3. संकाय :

मास्टर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग संकाय के अंतर्गत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि दो साल (चार सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 04 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

यू.जी.सी. द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएमएलटी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. सीट :

मूल इकाई 30 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

.

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने तथा उस विषय के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु न्यूनतम 40% अंक अर्जित करना आवश्यक होगा, जिसमें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा एवं विषय शिक्षक द्वारा किए गए सतत् मूल्यांकन के प्राप्तांक सम्मिलित होंगे, इसके अतिरिक्त सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के समस्त विषयों/प्रश्नपत्रों में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी विषय में 40% से कम तथा सभी विषयों में कुल मिलाकर 45% से कम अंक अर्जित करेगा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह ''मास्टर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी'' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –126

बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी – बीफिजियो

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–126 बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी संक्षिप्त नाम बीफिजियो के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी ।

3. संकाय :

बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग संकाय के अंतर्गत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि तीन साल (छः सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 06 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित में न्यूनतम 50% अंको के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने तथा उस विषय के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु न्यूनतम 40% अंक अर्जित करना आवश्यक होगा, जिसमें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा एवं विषय शिक्षक द्वारा किए गए सतत् मूल्यांकन के प्राप्तांक सम्मिलित होंगे, इसके अतिरिक्त सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के समस्त विषयों/प्रश्नपत्रों में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी विषय में 40% से कम तथा सभी विषयों में कुल मिलाकर 45% से कम अंक अर्जित करेगा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह ''बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी'' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –127

डिप्लोमा इन फिजियोथैरेपी – डीफिजियो

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–127 डिप्लोमा इन फिजियोथैरेपी संक्षिप्त नाम डीफिजियो के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

डिप्लोमा इन फिजियोथैरेपी ।

3. संकाय :

डिप्लोमा इन फिजियोथैरेपी हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग संकाय के अंतर्गत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि दो साल (चार सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 04 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित में न्यूनतम 50% अंको के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।
सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने तथा उस विषय के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु न्यूनतम 40% अंक अर्जित करना आवश्यक होगा, जिसमें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा एवं विषय शिक्षक द्वारा किए गए सतत् मूल्यांकन के प्राप्तांक सम्मिलित होंगे, इसके अतिरिक्त सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के समस्त विषयों/प्रश्नपत्रों में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी विषय में 40% से कम तथा सभी विषयों में कुल मिलाकर 45% से कम अंक अर्जित करेगा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह '' डिप्लोमा इन फिजियोथैरेपी '' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –128

बी.एससी. (रिनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी) – बीआरडीटी

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–128 बी.एससी (रिनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी) संक्षिप्त नाम बीआरडीटी के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

बी.एससी (रिनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी) ।

3. संकाय :

बी.एससी (रिनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी) हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग संकाय के अंतर्गत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि तीन साल (छः सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 06 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित में न्यूनतम 50% अंको के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने तथा उस विषय के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु न्यूनतम 40% अंक अर्जित करना आवश्यक होगा, जिसमें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा एवं विषय शिक्षक द्वारा किए गए सतत् मूल्यांकन के प्राप्तांक सम्मिलित होंगे, इसके अतिरिक्त सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के समस्त विषयों/प्रश्नपत्रों में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी विषय में 40% से कम तथा सभी विषयों में कुल मिलाकर 45% से कम अंक अर्जित करेगा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह '' बी.एससी (रिनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी) '' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –129

बैचलर ऑफ साइंस (ऑप्टोमेट्री) – बी.एससी (ऑप्टोमेट्री)

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–129 बैचलर ऑफ साइंस (ऑप्टोमेट्री) संक्षिप्त नाम बी.एससी (ऑप्टोमेट्री) के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

बैचलर ऑफ साइंस (ऑप्टोमेट्री)।

3. संकाय :

बैचलर ऑफ साइंस (ऑप्टोमेट्री) हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग संकाय के तहत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि चार साल (आठ सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 08 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित में न्यूनतम 50% अंको के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

.

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने तथा उस विषय के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु न्यूनतम 40% अंक अर्जित करना आवश्यक होगा, जिसमें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा एवं विषय शिक्षक द्वारा किए गए सतत् मूल्यांकन के प्राप्तांक सम्मिलित होंगे, इसके अतिरिक्त सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के समस्त विषयों/प्रश्नपत्रों में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी विषय में 40% से कम तथा सभी विषयों में कुल मिलाकर 45% से कम अंक अर्जित करेगा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह '' बैचलर ऑफ साइंस (ऑप्टोमेट्री) '' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –130

डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिसटेंट – डीएनसीए

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–130 डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिसटेंट संक्षिप्त नाम डीएनसीए के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिसटेंट ।

3. संकाय :

डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिसटेंट हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग संकाय के तहत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि दो साल (चार सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 04 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित में न्यूनतम 50% अंको के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने तथा उस विषय के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु न्यूनतम 40% अंक अर्जित करना आवश्यक होगा, जिसमें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा एवं विषय शिक्षक द्वारा किए गए सतत् मूल्यांकन के प्राप्तांक सम्मिलित होंगे, इसके अतिरिक्त सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के समस्त विषयों/प्रश्नपत्रों में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी विषय में 40% से कम तथा सभी विषयों में कुल मिलाकर 45% से कम अंक अर्जित करेगा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह '' डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिसटेंट '' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –131

डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेस – डीपीसी

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–131 डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेस संक्षिप्त नाम डीपीसी के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेस ।

3. संकाय :

डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेस हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग संकाय के अंतर्गत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि दो साल (चार सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 04 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

.

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।
सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने तथा उस विषय के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु न्यूनतम 40% अंक अर्जित करना आवश्यक होगा, जिसमें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा एवं विषय शिक्षक द्वारा किए गए सतत् मूल्यांकन के प्राप्तांक सम्मिलित होंगे, इसके अतिरिक्त सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के समस्त विषयों/प्रश्नपत्रों में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी विषय में 40% से कम तथा सभी विषयों में कुल मिलाकर 45% से कम अंक अर्जित करेगा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह '' डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेस '' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –132

डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर – डीआरएचसी

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–132 डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर संक्षिप्त नाम डीआरएचसी के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर ।

3. संकाय :

डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग संकाय के तहत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि दो साल (चार सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 04 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने तथा उस विषय के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु न्यूनतम 40% अंक अर्जित करना आवश्यक होगा, जिसमें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा एवं विषय शिक्षक द्वारा किए गए सतत् मूल्यांकन के प्राप्तांक सम्मिलित होंगे, इसके अतिरिक्त सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के समस्त विषयों/प्रश्नपत्रों में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी विषय में 40% से कम तथा सभी विषयों में कुल मिलाकर 45% से कम अंक अर्जित करेगा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह '' डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर '' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –133

डिप्लोमा इन एक्स–रे टेक्नोलॉजी – डीएक्सटी

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–133 डिप्लोमा इन एक्स–रे टेक्नोलॉजी संक्षिप्त नाम डीएक्सटी के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

डिप्लोमा इन एक्स–रे टेक्नोलॉजी ।

3. संकाय :

डिप्लोमा इन एक्स–रे टेक्नोलॉजी हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग संकाय के अंतर्गत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि दो साल (चार सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 04 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

.

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने तथा उस विषय के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु न्यूनतम 40% अंक अर्जित करना आवश्यक होगा, जिसमें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा एवं विषय शिक्षक द्वारा किए गए सतत् मूल्यांकन के प्राप्तांक सम्मिलित होंगे, इसके अतिरिक्त सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के समस्त विषयों/प्रश्नपत्रों में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी विषय में 40% से कम तथा सभी विषयों में कुल मिलाकर 45% से कम अंक अर्जित करेगा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह '' डिप्लोमा इन एक्स–रे टेक्नोलॉजी '' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –134

डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर – डीएमपीएचडब्ल्यू

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–134 डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर संक्षिप्त नाम डीएमपीएचडब्ल्यू के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर ।

3. संकाय :

डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हेल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग संकाय के अंतर्गत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि दो साल (चार सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 04 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय उत्तीर्ण करने तथा उस विषय के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने हेतु न्यूनतम 40% अंक अर्जित करना आवश्यक होगा, जिसमें सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा एवं विषय शिक्षक द्वारा किए गए सतत् मूल्यांकन के प्राप्तांक सम्मिलित होंगे, इसके अतिरिक्त सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के समस्त विषयों/प्रश्नपत्रों में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त प्रश्नपत्रों में कुल मिलाकर न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा विद्यार्थी जो किसी भी विषय में 40% से कम तथा सभी विषयों में कुल मिलाकर 45% से कम अंक अर्जित करेगा उसे अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह '' डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर '' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2022

क्रमांक एफ 3–32/2021/38–2. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31–03–2022 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2022

NOTIFICATION

No. F 3-32/2021/38-2. – Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 668/PU/S&O/2016 (Part-2)/16635, dated 24-02-2022 has approved the subsequent Ordinance No. 114 to 134 of Kalinga University, Village-Kotni Palod, Teh.-Arang, Distt.-Raipur (Chhattisgarh), Under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of above Ordinances in Official Gazette.

3. The above Ordinances shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHUVANESH YADAV, Secretary.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No-114
Bachelor of Vocational Studies- B.Voc.

1. INTRODUCTION :

This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No-114 Bachelor of Vocational Studies, abbreviated as B.Voc. in the area of Engine Testing, Software Development, Firm Equipment & Machinery, Mobile Communication, Retail, Renewable Energy, Building Technology, Fashion Technology, Interior Design, Jewellery Design, Tourism & Service Industry, Printing Technology, Hospital and Tourism, Beauty and Wellness, Automobile, Hospital Administration and Allied areas.

2. TITLE :

Bachelor of Vocational Studies.

3. FACULTY :

Bachelor of Vocational Studies program will be under Faculty of Vocational Education.

4. DURATION :

The duration of the program shall be Three years (Six semesters) and Maximum Duration will be 06 Years.

5. ELIGIBILITY :

Must have passed 10+2 Examination from Chhattisgarh Board of Secondary Education or from any other recognized Board of Secondary Education.

6. SEATS :

The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. ADMISSION :

As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. ACADEMIC YEAR :

There will be one academic cycle per year from July to June .

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in news paper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Bachelor of Vocational Studies," Degree.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements .

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No-115

Bachelor of Animation & Visual Effects –B.An & Vfx

1. INTRODUCTION :

This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No-115 Bachelor of Animation & Visual Effects, abbreviated as B. An & Vfx.

2. TITLE :

Bachelor of Animation & Visual Effects.

3. FACULTY :

Bachelor of Animation & Visual Effects program will be under Faculty of Information Technology.

4. DURATION :

The duration of the program shall be Three years (Six semesters) and Maximum Duration will be 06 Years.

5. ELIGIBILITY :

Must have passed 10+2 Examination from Chhattisgarh Board of Secondary Education or from any other recognized Board of Secondary Education.

6. SEATS :

The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. ADMISSION :

As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. ACADEMIC YEAR :

There will be one academic cycle per year from July to June .

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in news paper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Bachelor of Animation & Visual Effects," Degree.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements .

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No-116

Master of Animation & Visual Effects - M. An & Vfx

1. INTRODUCTION :

This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No- 116 Master of Animation & Visual Effects, abbreviated as M.An & Vfx.

2. TITLE :

Master of Animation & Visual Effects.

3. FACULTY :

Master of Animation & Visual Effects program will be under Faculty of Information & Technology.

4. DURATION :

The duration of the program shall be Two years (Four semesters) and Maximum Duration will be 04 Years.

5. ELIGIBILITY :

Must have passed Graduation in any discipline from any recognized University by U.G.C. Candidates with Bachelor of Animation & Visual Effects are preferred. However, those who have a bachelor's degree in the related field are also eligible.

6. SEATS :

The basic unit shall be of 30 seats. Multiple units can also be set up.

7. ADMISSION :

As specified in Ordinance No.01. Admission shall be granted on the merit of Graduation. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed.

8. ACADEMIC YEAR :

There will be one academic cycle per year from July to June .

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in news paper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Master of Animation & Visual Effects," Degree.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements .

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 117

Diploma in Yoga (DY)

1. INTRODUCTION :

This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No- 117 Diploma in Yoga, abbreviated as DY.

2. TITLE :

Diploma in Yoga.

3. FACULTY :

Diploma in Yoga (DY) program will be under Faculty of Science.

4. DURATION :

The duration of the program shall be Three year (Six semesters) and Maximum Duration will be 06 Years.

5. ELIGIBILITY :

Must have passed 10+2 Examination from Chhattisgarh Board of Secondary Education or from any other recognized Board of Secondary Education.

6. SEATS :

The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. ADMISSION :

As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. ACADEMIC YEAR :

There will be one academic cycle per year from July to June .

9. SELECTION :

The University will issue admission notification, on the notice board of the University and in other publicity media, in news paper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 35% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 35% marks separately in each subject/paper in end semester examination. And 40% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 35% of aggregate marks in a paper and less than 40% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Diploma in Yoga (DY)" Degree.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements .

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 118
Bachelor of Fine Arts- BFA

1. INTRODUCTION :

This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No- 118 Bachelor of Fine Arts, abbreviated as BFA

2. TITLE :

Bachelor of Fine Arts.

3. FACULTY :

Bachelor of Fine Arts program will be under Faculty of Fine Art/Performing Art/Visual Art/Applied Art.

4. DURATION :

The duration of the program shall be Three year (Six semesters) and Maximum Duration will be 06 Years.

5. ELIGIBILITY :

Must have passed 10+2 Examination from Chhattisgarh Board of Secondary Education or from any other recognized Board of Secondary Education.

6. SEATS :

The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. ADMISSION :

As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. ACADEMIC YEAR :

There will be one academic cycle per year from July to June .

9. SELECTION :

The University will issue admission notification, on the notice board of the University and in other publicity media, in news paper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at

least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 35% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 35% marks separately in each subject/paper in end semester examination. And 40% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 35% of aggregate marks in a paper and less than 40% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Bachelor of Fine Arts" Degree.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements .

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities
(Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No – 119

B.Sc. Operation Theatre Technology (BOTT)

1. INTRODUCTION :

This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No- 119 B.Sc. Operation Theatre Technology, abbreviated as BOTT.

2. TITLE :

B.Sc. Operation Theatre Technology.

3. FACULTY :

B.Sc. Operation Theatre Technology (BOTT) program will be under Faculty of Health & Allied Science/Paramedical/Nursing.

4. DURATION :

The duration of the program shall be Four years (Six semesters + 1 Year Internship) and Maximum Duration will be 08 Years.

5. ELIGIBILITY :

Must have passed 10+2 Examination with Physics, Chemistry, and Mathematics/ Biology as compulsory subjects, from Chhattisgarh Board of Secondary Education or from any other recognized Board of Secondary Education.

6. SEATS :

The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. ADMISSION :

As specified in Ordinance No.01. Admission shall be granted on the merit of 10+2. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed.

8. ACADEMIC YEAR :

There will be one academic cycle per year from July to June.

9. SELECTION :

The University will issue admission notification, on the notice board of the University and in other publicity media, in news paper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or

intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/ Thesis/ Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination. And 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE:

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years and has successfully completed the Internship of 1 year duration shall be eligible for the award of "B.Sc. Operation Theatre Technology (BOTT)" Degree.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements.

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No – 120

Diploma in Operation Theatre Technology (DOTT)

1. INTRODUCTION :

This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No- 120 Diploma in Operation Theatre Technology, abbreviated as DOTT.

2. TITLE :

Diploma in Operation Theatre Technology.

3. FACULTY :

Diploma in Operation Theatre Technology (DOTT) program will be under Faculty of Health & Allied Science/Paramedical/Nursing.

4. DURATION :

The duration of the program shall be Two years (Four semesters) and Maximum Duration will be 04 Years.

5. ELIGIBILITY :

Must have passed 10+2 Examination with Physics, Chemistry, and Mathematics/Biology as compulsory subjects, from Chhattisgarh Board of Secondary Education or from any other recognized Board of Secondary Education.

6. SEATS :

The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. ADMISSION :

As specified in Ordinance No.01. Admission shall be granted on the merit of 10+2. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed.

8. ACADEMIC YEAR :

There will be one academic cycle per year from July to June.

9. SELECTION :

The University will issue admission notification, on the notice board of the University and in other publicity media, in newspaper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or

intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination. And 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DIPLOMA:

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Diploma in Operation Theatre Technology (DOTT)" Diploma.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements.

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No. - 121

Bachelor of Science (Nursing) - B. Sc. (Nursing)

1. INTRODUCTION :

This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No. – 121 Bachelor of Science (Nursing), abbreviated as B. Sc. (Nursing).

2. TITLE :

Bachelor of Science (Nursing).

3. FACULTY :

Bachelor of Science (Nursing) program will be under faculty of Health & Allied Science/Paramedical/Nursing.

4. DURATION :

The duration of the program shall be Four years (Eight semesters) and Maximum Duration will be 08 Years.

5. ELIGIBILITY :

Must have passed 10+2 Examination and also have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology & English individually; must have obtained a minimum of 45% marks taken together in Physics, Chemistry, Biology at the qualifying examination (10+2).

6. SEATS :

The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. ADMISSION :

As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. ACADEMIC YEAR :

There will be one academic cycle per year from July to June.

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in newspaper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S

camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Bachelor of Science (Nursing)" Degree.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements.

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No. - 122

Master of Science (Nursing) - M. Sc. (Nursing)

1. INTRODUCTION :

This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No. - 122 Master of Science (Nursing), abbreviated as M. Sc. (Nursing).

2. TITLE :

Master of Science (Nursing).

3. FACULTY :

Master of Science (Nursing) program will be under faculty of Health & Allied Science/Paramedical/Nursing.

4. DURATION :

The duration of the program shall be Two years (Four semesters) and Maximum Duration will be 04 Years.

5. ELIGIBILITY :

Must have passed BSc. Nursing / BSc. Hons. Nursing/ Post Basic BSc. Nursing with minimum of 55% marks in aggregate.

6. SEATS :

The basic unit shall be of 30 seats. Multiple units can also be set up.

7. ADMISSION :

As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. ACADEMIC YEAR :

There will be one academic cycle per year from July to June.

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in newspaper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or

intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Master of Science (Nursing)" Degree.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements.

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No. - 123

B.Sc in Medical Imaging Technology - BMIT

1. INTRODUCTION :

This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No. - 123 B.Sc in Medical Imaging Technology, abbreviated as BMIT.

2. TITLE :

B.Sc in Medical Imaging Technology.

3. FACULTY :

B.Sc in Medical Imaging Technologyprogram will be under faculty of Health & Allied Science/Paramedical/Nursing.

4. DURATION :

The duration of the program shall be Three years (Six semesters) and Maximum Duration will be 06 Years.

5. ELIGIBILITY :

Must have passed 10+2 Examination with minimum 50% marks in Physics, Chemistry, Biology/Maths.

6. SEATS :

The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. ADMISSION :

As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. ACADEMIC YEAR :

There will be one academic cycle per year from July to June.

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in newspaper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or

intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "B.Sc in Medical Imaging Technology" Degree.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements.

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities
(Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No. - 124
Bachelor of Medical Laboratory Technology - BMLT

1. INTRODUCTION :
This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No. - 124 Bachelor of Medical Laboratory Technology, abbreviated as BMLT.

2. TITLE :
Bachelor of Medical Laboratory Technology.

3. FACULTY :
Bachelor of Medical Laboratory Technology program will be under faculty of Health & Allied Science/Paramedical/Nursing.

4. DURATION :
The duration of the program shall be Three years (Six semesters) and Maximum Duration will be 06 Years.

5. ELIGIBILITY :
Must have passed 10+2 Examination with minimum 50% marks in Physics, Chemistry, Biology/Maths.

6. SEATS :
The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. ADMISSION :
As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. ACADEMIC YEAR :
There will be one academic cycle per year from July to June.

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in newspaper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or

intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Bachelor of Medical Laboratory Technology" Degree.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements.

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No. - 125

Master of Medical Laboratory Technology - MMLT

1. INTRODUCTION :

This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No. - 125 Master of Medical Laboratory Technology, abbreviated as MMLT.

2. TITLE :

Master of Medical Laboratory Technology.

3. FACULTY :

Master of Medical Laboratory Technology program will be under faculty of Health & Allied Science/Paramedical/Nursing.

4. DURATION :

The duration of the program shall be Two years (Four semesters) and Maximum Duration will be 04 Years.

5. ELIGIBILITY :

Must have passed BMLT from any recognized University by U.G.C.

6. SEATS :

The basic unit shall be of 30 seats. Multiple units can also be set up.

7. ADMISSION :

As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. ACADEMIC YEAR :

There will be one academic cycle per year from July to June.

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in newspaper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or

intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Master of Medical Laboratory Technology" Degree.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements.

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No. - 126
Bachelor of Physiotherapy - BPhysio

1. **INTRODUCTION :**
This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No. - 126 Bachelor of Physiotherapy, abbreviated as BPhysio.

2. **TITLE :**
Bachelor of Physiotherapy.

3. **FACULTY :**
Bachelor of Physiotherapy program will be under faculty of Health & Allied Science/Paramedical/Nursing.

4. **DURATION :**
The duration of the program shall be Three years (Six semesters) and Maximum Duration will be 06 Years.

5. **ELIGIBILITY :**
Must have passed 10+2 Examination with minimum 50% marks in Physics, Chemistry, Biology/Maths.

6. **SEATS :**
The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. **ADMISSION :**
As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. **ACADEMIC YEAR :**
There will be one academic cycle per year from July to June.

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in newspaper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or

intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Bachelor of Physiotherapy" Degree.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements.

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No. - 127
Diploma in Physiotherapy - DPhysio

1. **INTRODUCTION :**
This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No. - 127 Diploma in Physiotherapy, abbreviated as DPhysio.

2. **TITLE :**
Diploma in Physiotherapy.

3. **FACULTY :**
Diploma in Physiotherapy program will be under faculty of Health & Allied Science/Paramedical/Nursing.

4. **DURATION :**
The duration of the program shall be Two years (Four Semesters) and Maximum Duration will be 04 Years.

5. **ELIGIBILITY :**
Must have passed 10+2 Examination with minimum 50% marks in Physics, Chemistry, Biology/Maths.

6. **SEATS :**
The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. **ADMISSION :**
As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. **ACADEMIC YEAR :**
There will be one academic cycle per year from July to June.

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in newspaper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or

intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Diploma in Physiotherapy" Diploma.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements.

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities
(Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No. - 128
B.Sc.(Renal Dialysis Technology) - BRDT

1. **INTRODUCTION :**
This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No. – 128 B.Sc.(Renal Dialysis Technology), abbreviated as BRDT.

2. **TITLE :**
B.Sc.(Renal Dialysis Technology).

3. **FACULTY :**
B.Sc.(Renal Dialysis Technology) program will be under faculty of Health & Allied Science/Paramedical/Nursing.

4. **DURATION :**
The duration of the program shall be Three years (Six semesters) and Maximum Duration will be 06 Years.

5. **ELIGIBILITY :**
Must have passed 10+2 Examination with minimum 50% marks in Physics, Chemistry, Biology/Maths.

6. **SEATS :**
The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. **ADMISSION :**
As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. **ACADEMIC YEAR :**
There will be one academic cycle per year from July to June.

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in newspaper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or

intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "B.Sc.(Renal Dialysis Technology)" Degree.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements.

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No. - 129

Bachelor of Science (Optometry) - B.Sc (Optometry)

1. INTRODUCTION :

This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No. – 129 Bachelor of Science (Optometry), abbreviated as B.Sc (Optometry).

2. TITLE :

Bachelor of Science (Optometry).

3. FACULTY :

Bachelor of Science (Optometry) program will be under faculty of Health & Allied Science/Paramedical/Nursing.

4. DURATION :

The duration of the program shall be Fouryears(Eight semesters) and Maximum Duration will be 08 Years.

5. ELIGIBILITY :

Must have passed 10+2 Examination with minimum 50% marks in Physics, Chemistry, Biology/Maths.

6. SEATS :

The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. ADMISSION :

As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. ACADEMIC YEAR :

There will be one academic cycle per year from July to June.

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in newspaper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or

intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Bachelor of Science (Optometry)" Degree.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements.

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities
(Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No. - 130
Diploma in Nursing Care Assistant - DNCA

1. **INTRODUCTION :**
This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No. - 130 Diploma in Nursing Care Assistant, abbreviated as DNCA.

2. **TITLE :**
Diploma in Nursing Care Assistant.

3. **FACULTY :**
Diploma in Nursing Care Assistantprogram will be under faculty of Health & Allied Science/Paramedical/Nursing.

4. **DURATION :**
The duration of the program shall be Two years (Four Semesters) and Maximum Duration will be 04 Years.

5. **ELIGIBILITY :**
Must have passed 10+2 Examination with minimum 50% marks in Physics, Chemistry, Biology/Maths.

6. **SEATS :**
The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. **ADMISSION :**
As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. **ACADEMIC YEAR :**
There will be one academic cycle per year from July to June.

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in newspaper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or

intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Diploma in Nursing Care Assistant" Diploma.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements.

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No. - 131
Diploma in Paramedical Courses - DPC

1. **INTRODUCTION :**
This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No. - 131 Diploma in Paramedical Courses, abbreviated as DPC.

2. **TITLE :**
Diploma in Paramedical Courses.

3. **FACULTY :**
Diploma in Paramedical Courses program will be under faculty of Health & Allied Science/Paramedical/Nursing.

4. **DURATION :**
The duration of the program shall be Two years (Four semesters) and Maximum Duration will be 04 Years.

5. **ELIGIBILITY :**
Must have passed 10+2 Examination.

6. **SEATS :**
The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. **ADMISSION :**
As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. **ACADEMIC YEAR :**
There will be one academic cycle per year from July to June.

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in newspaper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or

intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Diploma in Paramedical Courses" Diploma.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements.

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No. - 132
Diploma in Rural Health Care- DRHC

1. **INTRODUCTION :**
This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No. - 132 Diploma in Rural Health Care, abbreviated as DRHC.

2. **TITLE :**
Diploma in Rural Health Care.

3. **FACULTY :**
Diploma in Rural Health Careprogram will be under faculty of Health & Allied Science/Paramedical/Nursing.

4. **DURATION :**
The duration of the program shall be Two years (Four Semesters) and Maximum Duration will be 04 Years.

5. **ELIGIBILITY :**
Must have passed 10+2 Examination.

6. **SEATS :**
The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. **ADMISSION :**
As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. **ACADEMIC YEAR :**
There will be one academic cycle per year from July to June.

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in newspaper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or

intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Diploma in Rural Health Care" Diploma.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements.

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No. - 133
Diploma in X-Ray Technology - DXT

1. INTRODUCTION :
This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No. - 133 Diploma in X-Ray Technology, abbreviated as DXT.

2. TITLE :
Diploma in X-Ray Technology.

3. FACULTY :
Diploma in X-Ray Technology program will be under faculty of Health & Allied Science/Paramedical/Nursing.

4. DURATION :
The duration of the program shall be Two years (Four semesters) and Maximum Duration will be 04 Years.

5. ELIGIBILITY :
Must have passed 10+2 Examination.

6. SEATS :
The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. ADMISSION :
As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. ACADEMIC YEAR :
There will be one academic cycle per year from July to June.

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in newspaper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or

intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Diploma in X-Ray Technology" Diploma.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements.

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No. - 134
Diploma in Multi-Purpose Health Worker – DMPHW

1. **INTRODUCTION :**
This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No. – 134 Diploma in Multi-Purpose Health Worker, abbreviated as DMPHW.

2. **TITLE :**
Diploma in Multi-Purpose Health Worker.

3. **FACULTY :**
Diploma in Multi-Purpose Health Worker program will be under faculty of Health & Allied Science/Paramedical/Nursing.

4. **DURATION :**
The duration of the program shall be Two years (Four semesters) and Maximum Duration will be 04 Years.

5. **ELIGIBILITY :**
Must have passed 10+2 Examination.

6. **SEATS :**
The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. **ADMISSION :**
As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. **ACADEMIC YEAR :**
There will be one academic cycle per year from July to June.

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in newspaper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or

intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Diploma in Multi-Purpose Health Worker" Diploma.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements.

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.